

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 01462-220244

क्रमांक 0 एक () / एक सी.ए. / उ.व.स. / 2021-22 / 1823

दिनांक 23-02-22

निमित्त- अधिशासी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड बारां।

विषय - proposal for diversion of 286.47 ha .of forest land in favour of Executive Engineer, Water Resource Division III, Baran for Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation project in Baran District, Rajasthan state-reg.

संदर्भ - Government of India ministry of Environment, forest and climate change Online EDS Date 4.2.21 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 515 दिनांक 19.01.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त परियोजना अर्न्तगत जिला कलेक्टर बारां के आदेश क्रमांक F4 (7) (3) राजस्व/01/6028 दिनांक 07.07.2008 से तत्सम अन्ता के ग्राम तिखोद के कुल किता 17 रकबा 83.98 है 0 एवं ग्राम पातुन्दा कुल किता 20 रकबा 202.52 है 0 कुल 286.50 है 0 गैर वन भूमि सेट अपार्ट कि गई थी परन्तु राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद से शेष थी। आपके पत्र क्रमांक 1836 दिनांक 11.11.2021 से अवगत कराया गया कि नोनेरा बेराज के डूब क्षेत्र में उक्त सेट अपार्ट में से 44 है 0 भूमि डूब में आ जाने से वन विभाग को आवंटित नहीं किया जा सकता इसलिये सेट- अपार्ट भूमि 286.50 है 0 के स्थान पर 242.50 है 0 भूमि का आवंटन वन विभाग को वन विभाग को किया जाना है। क्षेत्रीय वन अधिकारी अन्ता की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि में 35 है 0 पर अतिक्रमण बताया गया है। पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 515 दिनांक 19.01.22 से अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु आपको लिखा गया था परन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे प्रकरण उच्च कार्यालय को भिजवाने में विलम्ब हो रहा है। प्रकरण में हो रहे विलम्ब के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

अतः आप उक्त क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाकर संशोधित रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करें इसके बाद ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(वी.चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक
बारां